राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी439 /2000/3242 दिनांक : 22.06.2000

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय, 7/147, स्वरूप नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश ने बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक 24.2.2000 को आवेदन किया था।

समिति कार्यालय द्वारा सत्र 2000-2001 की मान्यता पर विचार हेतु संस्था का दिनांक 27 मार्च, 98 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल मिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा उप-समिति द्वारा अनुमोदित एजेन्डा नोट की प्रति उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 12-13 अप्रेल, 2000 को सम्पन्न हुई 24 वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए थे। समिति ने प्रकरण पर विचार कर पाया कि संस्था में परिषद् मानदंडों के अनुसार कमियाँ हैं अतः संस्था को निम्नांकित कमियों की सूचना प्रेषित करते हुए उक्त कमियों के संदर्भ में परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया जाए।

क्रसं	पाई गई कमियाँ
1	परिषद् के नार्मस् एण्ड स्टेण्डर्स के पैरा 2.1, 2.2, 2.3, व 2.5 के अनुसार निर्धारित योग्यता व विषयों के अनुसार नियमानुसार राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/यू.जी.सी. के निर्देशानुसार गठित चयन समिति द्वारा पूर्ण कालिक एवं नियमित वेतन श्रृंखला में चयनित रीडर/व्याख्याताओं की 1:10 के मानदंडों से कमी है। ना ही अब तक नियमानुसार चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर रीडर/व्याख्याताओं का चयन कर उनसे परिषद् द्वारा मान्यता मिलने पर कार्यग्रहण करने की सहमति प्राप्त की है।
2	परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 2.2 व 2.3 के अनुसार कार्यानुभव, कला, म्यूजिक व परफारमिंग आर्ट के अनुदेशक, तकनीकी सहायक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष अलग से नहीं हैं।
3	परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 3 के अनुसार कक्षा-कक्ष, बहुउद्देशीय कक्ष, हॉल, बहुउद्देशीय प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कार्यानुभव कक्ष, प्राचार्य/विभागाध्यक्ष कक्ष, स्टाफ-रूम आदि बीएड प्रभाग के लिए अलग से चिन्हित नहीं किया गया है। न ही भवन के मानचित्र में उनको दर्शाया है।
4	परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 3.5.2 के अनुसार मनोविज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण नहीं हैं।
5	परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 3.5.4 के अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकें व जनरल्स नहीं हैं।
6	परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 5.1 के अनुसार अक्षय निधि व सुरक्षित निधि की कमी है।

समिति के निर्णयानुसार संस्था को दिनांक 25.4.2000 को नोटिस क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-439/2000/812 जारी किया गया जिसमें संस्था से कमियों के संदर्भ में लिखित अभ्यावेदन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया था। संस्था ने उक्त पत्र के संदर्भ में कोई अभ्यावेदन समिति कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया अतः प्रकरण को उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 8,9 जून, 2000 को सम्पन्न हुई 26 वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति ने संस्था के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया कि संस्था में पाई गई निम्नांकित कमियों के कारण संस्था के प्रस्तावित बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार कर दिया जाए।

क्रसं	पाई गई कमियाँ
1	परिषद् के नार्मस् एण्ड स्टेण्डर्स के पैरा 2.1, 2.2, 2.3, व 2.5 के अनुसार निर्धारित योग्यता व विषयों के अनुसार नियमानुसार राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/यू.जी.सी. के निर्देशानुसार गठित चयन समिति द्वारा पूर्ण कालिक एवं नियमित वेतन श्रृंखला में चयनित रीडर/व्याख्याताओं की 1:10 के मानदंडों से कमी है। ना ही अब तक नियमानुसार चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर रीडर/व्याख्याताओं का चयन कर उनसे परिषद् द्वारा मान्यता मिलने पर कार्यग्रहण करने की सहमति प्राप्त की है।

2	परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 2.2 व 2.3 के अनुसार कार्यानुभव, कला, म्यूजिक व परफार्मिंग आर्ट के अनुदेशक, तकनीकी सहायक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष अलग से नहीं हैं।
3	परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 3 के अनुसार कक्षा-कक्ष, बहुउद्देशीय कक्ष, हॉल, बहुउद्देशीय प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कार्यानुभव कक्ष, प्राचार्य/विभागाध्यक्ष कक्ष, स्टाफ-रूम आदि बीएड प्रभाग के लिए अलग से चिन्हित नहीं किया गया है। न ही भवन के मानचित्र में उनको दर्शाया है।
4	परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 3.3.2 के अनुसार मनोविज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण नहीं है।
5	परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 3.5.4 के अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकें व जनरलस् नहीं हैं।
6	परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 5.1 के अनुसार अक्षय निधि व सुरक्षित निधि की कमी है।

उत्तर क्षेत्रीय समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार कानपुर विद्यामंदिर महिला महाविद्यालय, 7/147, स्वरूप नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता को संस्था में पाई गई उपरोक्त कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार किया जाता है तथा संस्था एवं सम्बन्धित अभिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि संस्था में बीएड पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक सीटों पर प्रवेश न करें। यदि संस्था या सम्बन्धित अभिकरण प्रवेश करता है तथा उन छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनके बीएड पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत उन छात्रों को प्रदत्त बीएड की उपाधि केन्द्र सरकार कोई भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में रोजगार के लिए वैध योग्यता नहीं मानी जाएगी यदि संस्था चाहे तो उक्त आदेश के सापेक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम1993 की धारा 18 के अधीन परिषद् मुख्यालय में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय के समक्ष अपील कर सकती है। अपील के संदर्भ में दिशा-निर्देश आदेश के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। इस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद शीघ्र जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से

(डॉ0 एस.एन. मैठी)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति —

प्रबन्धक
भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स ,दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन सचिवालय, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
3. कुल सचिव, सम्बन्धित विश्वविद्यालय
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
5. प्राचार्य, कानपुर विद्यामंदिर महिला महाविद्यालय, 7/147, स्वरूप नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश
6. कम्प्यूटर फाइल (उक्षेस)

क्षेत्रीय निदेशक